संख्या– 581 /XIX/बजट/2005–61/खाद्य/05

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग। देहरादूनः दिनांकः 07 अप्रैल, 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रथम माह (01 अप्रैल, 2005 से 30 अप्रैल, 2005 तक) हेतु अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक संख्या–3456–के अन्तर्गत आयोजनेतर पक्ष में वचनबद्ध मदों के लिए लेखाअनुदान द्वारा धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–422/XXVII(1)/2005, दिनांक 30 मार्च, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक–3456–के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नक में दिये गये वचनबद्ध तथा अन्य आवश्यक मानक मदों के विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन **रूपये 861 हजार मात्र (रूपये आठ लाख इक्सठ हजार मात्र)** की धनराशि को आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः –

1– वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5– समस्त चालू निमार्ण कार्य, मशीनों, उपकरण एवं संयत्र तथा वाहन आदि के क्रय तथा अवचन मदों पर धनराशि के व्यय हेतु शासन की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

.....2/–

6– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–3456–सिविल पूर्ति–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
सचिव।

संख्या– 581 (1)/XIX/बजट/2005–61/खाद्य/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– आयुक्त कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
3– आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
4– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6– वरिष्ठ सम्भागीय वित्त अधिकारी, खाद्य, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
7– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून।
9– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
10– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
11– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
12– समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0शुक्ला)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 581 /XIX/बजट/2005–61/खाद्य/05 दिनांक: 07 अप्रैल, 2005 का संलग्नक।

अनुदान संख्या–25 लेखाशीर्षक–	(धनराशि हजार रूपये में) आयोजनेत्तर
3456–सिविल पूर्ति	
001–निदेशन तथा प्रशासन	
04–उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय	
01–वेतन	417
03–महंगाई भत्ता	125
04–यात्रा व्यय	5
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2
06–अन्य भत्ते	46
08–कार्यालय व्यय	8
09–विद्युत देय	4
10–जलकर/जल प्रभार	1
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12
13–टेलीफोन पर व्यय	8
15–गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	17
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	4
48–महंगाई वेतन	208
योग– (रूपये आठ लाख इकसठ हजार मात्र)	861

(एम0सी0उपेती)
अपर सचिव।